राजस्थान सरकार
पुलिस कमिश्नरेट, जयपुर
(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

एटीएम से छेडछाड कर 3 लाख 50 हजार रुपये निकालने वाला गिरफतार

जयपुर, 19 अप्रैल। पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) श्री अशोक कुमार गुप्ता ने बताया कि 16 मार्च 2017 को परिवादी श्री हजारी लाल निवासी प्लाट नम्बर डी 6/431 चित्रकुट योजना वैशाली नगर अजमेर रोड जयपुर हाल बैक मैनेजर स्टेट बैक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर SCAB बनीपार्क कलेक्ट्रेट शाखा जयपुर ने उपस्थित थाना होकर रिपोर्ट पेश की कि एटीएम मशीन मे राशि भरने का कार्य करने वाली प्राईवेट वेण्डर हिताची पेमेन्ट सर्विसेज द्वारा जरिये ई मेल सूचना मिली की स्टैट बैक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर कालवाड रोड शाखा के पास स्थित एटीएम नम्बर S10A101090084 से दो एटीएम कार्ड के जरिये एटीएम मशीन से छेडछाड कर दिनांक 24–02–2017 को 100000/ व दिनांक 25–02–2017 को 2,50,000/ रुपये निकाल लिये गये। इस राशि का विण्ड्रोल एटीएम मशीन मे संदिग्ध (सस्पेक्टेड) बताया जा रहा है तथा उक्त राशि मशीन मे किसी तरह से छेडछाड कर धोखाधडी से गलत तराकों से निकाले गये। यह राशि दो एटीएम कार्डों निकाली गई है। एटीएम फुटैज के अनुसार संदिग्ध राशि निकालने वाला मशीन से राशि निकालकर अपने जेब मे डालता नजर आ रहा है। अतः इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कर एटीएम मशीन मे धोखाधडी कर संदिग्ध 3,50,000/– निकालने वाले दोषी के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही करें।

इस मामले को गम्भीरता से लेते हुये अति.पुलिस उपायुक्त पश्चिम श्री रतन सिंह के निर्देशन में सहायक पुलिस आयुक्त झोटवाडा श्री के.के. अवस्थी व थानाधिकारी झोटवाडा श्री गुर भूपेन्द्र सिंह के नेत्त्व में उनि. महीराम व गुरू दत, कानि. प्रध्मूनि सिंह, राजेन्द्र सिंह, राजेन्द्रज सिंह, सुनिल कुमार टीम गठित की गई।

टीम के द्वारा गुजरात मुम्बई दिल्ली गुडगांव गाजियाबाद फिरोजाबाद स्थानों पर तलाश की व कॉल डिटेल व लोकेशन एटीएम खाते का रिकॉर्ड प्राप्त कर एटीएम फुटेज के आधार पर टीम के भरसक प्रयास से वाछिंत आरोपी फैयाज अली पुत्र श्री अनवर अली जाति सयैद मुसलमान उम्र 29 साल निवासी बेकनगंज मोहल्ला कानपुर देहात थाना बेकनगंज जिला कानपुर देहात हाल म0नं0 ए 293 जवाहर पार्क ब्लारक ए साहीबाबाद थाना साहीबाबाद जिला गाजियाबाद यूपी को दस्तयाब कर गिरफतार किया गया। आरोपी ने पूछताछ में इस तरह की वारदात जयपुर व दिल्ली में करना स्वीकार किया है। आरोपी पुर्व में एटीएम मशीन में पैसे डलाने का काम करता है। जिससे उसने तकनीकी जानकरी का फायदा उठाकर वारदातों को अजाम दिया। आरोपी से प्रकरण में तफ्तीश की जा रही है।